

29/6/25

कीमत मिल कलक्टर के आवेक प्रमाण न्याय / दिनांक / 2025 / 2025 दिनांक 18/2/25 को
सहायक उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा में विद्यमान राजस्वान कार्यालयी अभिलेख 1958 की प्रत
20, 20, 20, 20, 100, 100, एवं 212 के अन्तर्गत विद्यमान तटवील सवाईपुर की पत्रावली के
कोष को पुनर्गठित किया है। उक्त प्रकरणों में सहायक कलक्टर को मालूम पत्रावली को
कार्यवाही की जाती है। सहायक उपखण्ड अधिकारी कीटका में स्थित उक्त पत्रावली को
सहायक कलक्टर से निस्तारण किये जाने हेतु एवं जमाखाने में सुरक्षित रखवाया अधिनियम 1958 की
धारा 210 (3) में बतल कृतियों का उपबोध करके हुए आदेश जारी किया है। उक्त समस्त पत्रावली को
में स्थित कलक्टर को निस्तारण किये जाने एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किये जाने हेतु कलक्टर दिनांक 22/6/25
को सहायक पत्रावली में है। पत्रावली उपस्थित / अनुपस्थित पत्रावली वाले कुल
दिनांक 17/7/25 को है।

[Signature]
सहायक कलक्टर

-- सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

17/7/25

[Signature]

पत्रावली पेश हुई। जहाँ आधीवक्ता उप.)
जहाँ आधीवक्ता द्वारा पत्रावली की
आधीवक्ता पर Not Pass मारकर की
जाकर पत्रावली में कोई कार्यवाही नहीं
चालने का निर्देश किया गया। जहाँ
आधीवक्ता द्वारा पत्रावली में कोई कार्यवाही
नहीं चालने से पत्रावली में कोई कार्यवाही
अपेक्षित नहीं है। अतः जहाँ द्वारा उक्त
कार्यालय पर अन्तर्गत धारा 212 बाधमान
की निर्णय से इजाजत सुनाया गया।
पत्रावली नमूना नुमांदा लेकर दायरे
दिए गए हैं तथा नमूना से कम है।

कूलवादा सं.
2025/165
Not Pass
कार्य

[Signature]
17/7/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा